भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1528

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2022 को दिया जाना है।

***

भू-तलीय लघु सिंचाई योजनाएं

1528. एडवोकेट ए.एम. आरिफ:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पीएमकेएसवाई के भाग के रूप में भू-तलीय लघु सिंचाई (एमएमआई) योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को एसएमआई के तहत अपने क्षेत्रों को शामिल करने के लिए केरल राज्य से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है;और

(ग) क्या सरकार का केरल राज्य में प्रत्येक एसएमआई योजना की न्यूनतम भूमि की आवश्यकता को मौजूदा बीस हेक्टेयर से कम करके दस हेक्टेयर करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टूडू)

(क): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य कृषि में जल की भौतिक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, कृषि में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, सतत् जल संरक्षण प्रथाएं, इत्यादि प्रारम्भ करना था। भूतल लघु सिंचाई (एसएमआई) योजना पीएमकेएसवाई के हर खेत को पानी (एचकेकेपी) घटक का एक भाग है। इस योजना के अंतर्गत, योजना के निर्धारित मानदंडों के अनुसार, राज्य सरकारों को चिन्हित भूजल लघु सिंचाई (एसएमआई) परियोजनाओं/परियोजनाओं के समूह के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(ख): गत पांच वर्षों में, इस मंत्रालय को केरल सरकार द्वारा, एसएमआई योजना के तहत शामिल करने के लिए कोई पात्र प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ग): जनवरी, 2022 में जारी एसएमआई योजना के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, समावेशन के लिए पात्रता शर्त के साथ-साथ, उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के लिए, प्रत्येक परियोजना हेतु न्यूनतम 20 हेक्टेयर का खेती योग्य कमान क्षेत्र (सीसीए) निर्धारित किया गया है। इन राज्यों में 5 किमी के दायरे में एसएमआई परियोजना समूह के लिए सीसीए न्यूनतम 50 हेक्टेयर होना चाहिए।

हालांकि, केवल हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों की एसएमआई परियोजनाएं, जो आदिवासी, सूखा-प्रवण विकास कार्यक्रम, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, बाढ़ प्रवण, या वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों को लाभान्वित करती हैं, वे योजना में शामिल होने की पात्र हैं।

वर्तमान में, केरल सहित किसी भी राज्य के लिए उपर्युक्त पात्रता मानदंड को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*****